

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 08.09.2022

45 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 01 व्यक्ति गिरफ्तार (थाना अंतू)-

जनपद के थाना अंतू के उ0नि0 श्री अंकित सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र के ग्राम बैजलपुर के पास से एक व्यक्ति शिवप्रकाश हरिजन उर्फ मिन्नी पुत्र भागीरथी हरिजन निवासी बैजलपुर थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ को 45 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अंतू पर मु0अ0सं0 477/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवप्रकाश हरिजन उर्फ मिन्नी पुत्र भागीरथी हरिजन निवासी बैजलपुर थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 45 ग्राम अवैध स्मैक बरामद।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अंकित सिंह मय हमराह थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना रानीगंज)

जनपद के थाना रानीगंज के उ0नि0 श्री लालबहादुर पाल मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 361/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त संदीप कुमार सरोज पुत्र मूलचन्द्र सरोज निवासी ग्राम सुलतानपुर थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र रानीगंज के गाजी का बाग तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना आसपुर देवसरा)

जनपद के थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 श्री बंशीधर राय मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 261/2020 धारा 363, 366ए भादंवि से संबंधित अभियुक्त किशन साहनी पुत्र नरसिंह प्रसाद निवासी ग्राम गुठनी थाना गुठनी जनपद सिवान, बिहार को थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के ढकवा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना सांगीपुर)

जनपद के थाना सांगीपुर के निरीक्षक श्री मनोज कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 232/2020 धारा 323, 376बी, 406, 452, 504, 506 भादंवि व धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त शिवांशु मिश्रा पुत्र अरविन्द मिश्रा निवासी ग्राम पूरे मिश्रन भोजपुर थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र सांगीपुर के देउम चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 05.09.2022 को थाना क्षेत्र कुण्डा के मनगढ में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामदा (थाना कुण्डा)

जनपद के थाना कुण्डा के उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 396/2022 धारा 307, 323, 504, 506 भादंवि से संबंधित वांछित अभियुक्त अतुल कुमार पुत्र श्यामबाबू निवासी कुसुवापुर थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र कुण्डा के बसवाही मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद किया गया ।

35 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ 02 व्यक्ति गिरफ्तार (थाना महेशगंज)

जनपद के थाना महेशगंज के उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के ग्राम तख्त का पुरवा मजरे ऐंथा के पास से एक व्यक्ति सोहन लाल सरोज पुत्र स्व0 रामलाल सरोज निवासी ग्राम तख्त का पुरवा मजरे ऐंथा थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ को 15 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 229/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया एवं थाना महेशगंज के ही उ0नि0 श्री अनुपम त्रिपाठी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के बड़ी नहर पुलिया के पास से एक व्यक्ति अशोक कुमार पुत्र बृजलाल निवासी लाला का पुरवा सराय खानदेव थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ को 20 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 230/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

20 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ 01 व्यक्ति गिरफ्तार (थाना लीलापुर)

जनपद के थाना लीलापुर के उ0नि0 श्री शत्रुघन वर्मा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के वर्मा नगर मोड़, भुवालपुर डोमीपुर के पास से एक व्यक्ति वीरू सरोज पुत्र रामबरन सरोज निवासी रेडवीर थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ को 20 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस

संबंध में थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 51/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

230 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ 03 व्यक्ति गिरफ्तार, मौके पर लगभग 09 क्विंटल लहन किया गया नष्ट। (थाना लालगंज)

जनपद के थाना लालगंज के उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह उ0नि0 श्री सचिन पटेल मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के ग्राम बिच्छु का पुरवा से तीन व्यक्तियों 01. सुभाष जायसवाल पुत्र राजेंद्र प्रसाद जयसवाल 02. विवेक जयसवाल पुत्र सीताराम जयसवाल 03. हरिशचंद जायसवाल पुत्र राजेंद्र प्रसाद जयसवाल निवासीगण बिच्छु का पुरवा थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को 230 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया व मौके पर लगभग 09 क्विंटल लहन नष्ट किया गया। इस संबंध में थाना लालगंज में क्रमशः मु0अ0सं0 605/2022, 606/2022 व 607/2022 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।